

1174T/1000
17/5/16

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
पंचकूला

यादी क्रमांक 4/569-15 पी0जी0टी0-II (5)
दिनांक पंचकूला।

विषय:- अतिथि प्राध्यापक के समायोजन बारे।

विषयांकित मामले में निम्नलिखित अतिथि प्राध्यापक को समायोजित करने की सिफारिश की जाती है:-

क्र० न०	कर्मचारी का नाम व पद	जहां से विस्थापित किया गया।	जहां समायोजित करने की मांग की है।	विशेष कथन
1.	श्री नीरजा कुमारी, अतिथि पी0जी0टी0 हिन्दी	रा0व0मा0वि0 करणपुर (पंचकूला) समायोजन अधीन रा0व0मा0वि0 टिक्कर ताल (पंचकूला)	रा0मा0व0मा0वि0 कालका (पंचकूला)	Against vacancy.

अधीक्षक पी0जी0टी0-II
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक: सम

दिनांक पंचकूला। 17/5/16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0 करणपुर (पंचकूला)।
2. प्राचार्य, रा0मा0व0मा0वि0 कालका (पंचकूला)।
3. प्राचार्य, रा0व0मा0वि0 टिक्कर ताल (पंचकूला)।
4. Technology Officer (I.T. Cell)

अधीक्षक पी0जी0टी0-II
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

1180 JTCG
1715/16

**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 22/21-2016 PGT-II(3)

Dated, Panchkula, the 10.05.2016

Sanction is hereby accorded under Notification No. 15/136-2010 Co (1) dated 26th April, 2011 to re-employment of **Smt. Attrawati, PGT Hindi, GSSS Chirana, Sonapat**, who has retired on 31.05.2016 she will be retained in the same institution with immediate effect or from the date of actual joining up to 31.03.2017 or till the vacancy is filled in by promotion or fresh recruitment or till rationalization/adjustment/other posting whichever is earlier on the following terms and conditions :-

6. There is no adverse remarks regarding integrity during last three years service and service record during last three years is good or better than that.
7. No charge sheet U/R 7 or 8 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules 1987 is pending against him/her.
8. Medical fitness Certificate from the Government Medical Officer.
9. No case involving moral turpitude is pending and no charges have been framed by the competent Court.
10. The salary will be paid as per provisions of CSR Vol-II i.e. last pay drawn minus pension.

M.L. KAUSHIK
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 17/05/16

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sonapat.(Attached Personal File)
2. Principal, GSSS Chirana, Sonapat.
- ✓ 3. Technology Officer (Local).

R. K. Singh
17/05/16
DY- SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

11-7-57/Case
17/5/16
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/96-2015 HRME(2)/3005

दिनांक, पंचकुला :-

1. इसके द्वारा श्री सतीश कुमार, लिपिक, (093496) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के अधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम-8 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के वितरण पर आधारित हैं।
2. इसके द्वारा श्री सतीश कुमार से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री सतीश कुमार को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की सभ में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया जायेगा। यदि श्री सतीश कुमार ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री सतीश कुमार को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(ए०एस०मान)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-
कार्या० निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

Shekhar

REGD.

श्री सतीश कुमार, लिपिक, (093496)

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत।(4141)

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

दिनांक, पंचकुला:- 11.05.2016

1- District Education Officer, Panipat.

2- T.O. IT Cell

Shekhar

अधीक्षक एच०आर०एम०ई०

कृते:निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा

पंचकुला।

आरोप सूची नियम-8 विरुद्ध- श्री सतीश कुमार , लिपिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत ।

श्री सतीश कुमार, लिपिक का0 जि0मौ0शि0अधि0 पानीपत ने जिं0शि0अधि0 पानीपत में बतौर सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुये निम्न प्रकार से अनियमितताएं की:-

1. यह कि सी0ओ0सी0पी0 3421 आफ 2013 इन सी0उब्ल्यू0पी0 नं0 4590 आफ 2011 श्री और प्रकाश बनाम श्री चन्द्र शेखर, आई0ए0एस0 माननीय उच्च न्यायालय में 24.09.15 को लगा था । उक्त तिथि को पेशी अटैण्ड करने के लिए 22.09.2015 को अधीक्षक स्था0-1 शाखा द्वारा पत्र के माध्यम से/ई0मेल के माध्यम से तथा दूरभाष पर उसको पेशी अटैण्ड करने के लिए कहा गया परन्तु उक्त तिथि को उनके कार्यालय से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जोकि उसके स्तर पर घोर कोताही है ।

अतः श्री सतीश कुमार, लिपिक द्वारा कोर्ट केस की अनदेखी कर तथा निदेशालय के आदेशों की पालना न कर कर्मचारी की कोताही को दर्शाती है तथा ऐसा करके कर्मचारी ने सरकारी कर्मचारी (आवरण) नियम ,1966 के नियम 3(i) (ii) तथा (iii) की उल्लंघना की, जिसके कारण उसने अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(प्र0एस0 मान)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1
कार्यालय, निदेशक सैकेंडरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला
S. P. Singh



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/96-2015 HRME(2)/3006

दिनांक, पंचकुला :-

1. इसके द्वारा श्री सुरेश कुमार चौकर, सहायक, (066358) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत, अब उप-अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत (4141) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के अधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम-8 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा श्री सुरेश कुमार चौकर से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री सुरेश कुमार चौकर को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जो कि: निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री सुरेश कुमार चौकर ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री सुरेश कुमार चौकर को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(ए०एस०मान)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन--
कार्यालय निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।
S. K. Gupta

REGD.

श्री सुरेश कुमार चौकर, सहायक, (अब उप-अधीक्षक) (066358)
जिला शिक्षा अधिकारी पानीपत। (4141)

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

दिनांक, पंचकुला:- 11.05.2016

1- District Education Officer, Panipat.

2- T.O. IT Cell

अधीक्षक एच०आर०एम०ई०
कृते: निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

आरोप सूची नियम-8 विरुद्ध- श्री सुरेश कुमार छौकर, सहायक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पानीपत ।

श्री सुरेश कुमार छौकर, सहायक का0 जि0मौ0शि0अधि0 पानीपत ने जिं0शि0अधि0 पानीपत में बतौर सहायक के पद पर कार्यरत रहते हुये निम्न प्रकार से अनियमितताएं की:-

1. यह कि सी0ओ0सी0पी0 3421 आफ 2013 इन सी0उब्ल्यू0पी0 नं0 4590 आफ 2011 श्री औम प्रकाश बनाम श्री चन्द्र शेखर, आई0ए0एस0 माननीय उच्च न्यायालय में 24.09.15 को लगा था । उक्त तिथि को पेशी अटैण्ड करने के लिए 22.09.2015 को अधीक्षक स्था0-1 शाखा द्वारा पत्र के माध्यम से/ई0मेल के माध्यम से तथा दूरभाष पर उसको पेशी अटैण्ड करने के लिए कहा गया परन्तु उक्त तिथि को उनके कार्यालय से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जोकि उसके स्तर पर घोर कोताही है ।

अतः श्री सुरेश कुमार छौकर, सहायक द्वारा कोर्ट केस की अनदेखी कर तथा निदेशालय के आदेशों की पालना न कर कर्मचारी की कोताही को दर्शाती है तथा ऐसा करके कर्मचारी ने सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम ,1966 के नियम 3(i) (ii) तथा (iii) की उल्लंघना की, जिसके कारण उसने अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है ।

(ए0एस0 मानि)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1
कार्यालय, निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला
8/9/2015

1182TAL
17/05/16

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
फतेहाबाद।

यादी क्रमांक 02/19-2016 पी0जी0टी0-। (2)

दिनांक पंचकूला 16-5-2016

विषय:- श्रीमती प्रियंका, अतिथि प्राध्यापिका रसायन शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,
नागपुर (फतेहाबाद) (3283) का समायोजन करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में निम्नानुसार अतिथि प्रवक्ता को वर्कलोड एवं मांग/नियमों
अनुसार समायोजित करने की सिफारिश की जाती है:-

क्र0 न0	कर्मचारी का नाम व पद	जहां से विस्थापित किया गया	जहां समायोजित करने की मांग की है	विशेष कथन
1.	Smt. Priyanka, Guest Lecturer Chemistry	GSSS Nagpur (Fatehabad) [3283]	GSSS Bhuna (Fatehabad) [3268]	Due to joining of regular employee

अधीक्षक पी0जी0टी0-।

कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक: सम

दिनांक पंचकूला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक तम शाखा।
2. Technology Officer (I.T. Cell)।

अधीक्षक पी0जी0टी0-।

कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।